न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण सं.:–74/2023

वादपत्र अर्न्तगत धारा:– 53 व 88 आर.टी.ए.

1. सत्यप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया हाल साकिन गांव रोहीडावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. कैलाश पत्नी स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामप्रताप जाति जाट साकिन वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादीगण

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सुमीत
3. पुनीत

पुत्रगण जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित:–

1. श्री रामनिवास बेदी एड. – वादीगण
2. श्री भीमसिंह छिम्पा एड –प्रतिवादी सं. 1 से 3

दिनांक– 07.02.2023

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 4 डी.एन.जी. अंतिम चौसाला आधार संम्वत 2071–2074 के खाता सं. 7/7 खाता ओमप्रकाश वगैरा के कुल सांझा खाता 6.072है0 में से वादी संख्या 1 सत्यप्रकाश का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के स्व. पति/पिता ओमप्रकाश का 1/3 हिस्सा ब.ही.ब. प्रतिवादी संख्या 1 के समान दर्ज राजस्व जमाबन्दी है। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद–पत्र है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णीत कुल सांझा खाता की पैतृक कृषि भूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के बीच अर्सा दराज पूर्व घरा घरू बंटवारा हो चुका है। घरा–घरू बंटवारा में प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 अपना अपना पैतृक हक हिस्सा वादी सं. 2 मांता कैलाश के पक्ष में ब. ही.ब. छोड़ दिया हैं जिसकी ऐवज में अपना हिस्सा गांव गोगामेडी तहसील नोहर में प्राप्त कर लिया है। घरू बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानों को ध्यान में रखकर अच्छी मन्दी भूमि को ध्यान में रखकर रास्ता खाला की सुविधानुसार किया गया है। घरू विभाजन में आयी वादीगण के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्नप्रकार है :– वादी सं. 1 सत्यप्रकाश के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि :– चक 4 डी.एन.जी. जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 7/7 पत्थर नं. 183/132 मु.नं. 19 किला नं. 9/0.253, 11,12,13/0.759, 17,18,19,20/1.012 कुल योग 2.024है0 वादी संख्या 2 कैलाश पत्नी स्व. ओमप्रकाश के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि :– चक 4 डी.एन.जी. जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 7/7 पत्थर नं. 182/133 मु.नं. 28 किला नं. 7,14,15,16,17 व 13,24,25/2.024 कुल योग 2.024है0 कि वादपत्र चरण सं. 2 में वर्णित कुल पैतृक कृषि भूमि को लेकर वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार घरू बंटवारा हो चुका है। गत माह वादी ने प्रतिवदी सं. 1 से नम्र

–2–

निवदेन किया कि वो वादपत्र कि चरण सं. 3 मुताबिक अपना खाता कायम करवा लेवे। तो पहले तो वह आज कल आज कल करता रहा गत सप्ताह ऐसा करने से प्रतिवादी सं. 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण हैं ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.2.2023 को जबाव स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 8.6.2023 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमसिंह छिंपा द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की ओर ईकबाल दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नही किये जाकर साक्ष्य वादी करवाये गये। साक्ष्य वादी में वादीया कैलाश ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज प्रमाणित जमाबन्दी को प्रदर्शित करवाया गया । जमाबन्दी प्रदर्श 1 है। और साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण पेश नहीं करवाना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादीगण बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। बहस वकील वादीगण एंव प्रतिवादीगण सुनी गयी। वादीगण द्वारा मुताबिक अनुतोष वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा भी मुताबिक कब्जा घरू बंटवारा अनुसार वादपत्र डिक्री करने का विरोध नही किया गया। तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 मुताबिक अनुतोष डिक्री करने का निवेदन किया गया। जबाव स्टेट में भी वादीगण के वादपत्र को मांगे गये अनुतोष मुताबिक डिक्री किये जाने का कोई विरोध नही है।

हमारे द्वारा वादीगण की बहस पर मनन किया गया व वादीगण की ओर से पेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्काड जमाबन्दी प्रदर्श 1 तथा ब्यान गवाह कैलाश की साक्ष्य आदि का अवलोकन करने से वादीगण को वादपत्र में वर्णित आराजी घरू बंटवारा मुताबिक विरास्तन प्राप्त होना साबित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने तथा मुताबिक घरू बंटवारा आराजी वादीगण को मिलना साबित होने से वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी सं. 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी सं. 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित वादभूमि में वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णितनुसार वादीया कैलाश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कब्जा काश्त मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा की भूमि का खाता सहखातेदारो से अलग कायम किया जाता है। यदि प्रश्नगत आराजी पर ऋण है तो ऋण चुकता प्रमाण पत्र पेश होने पर अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07-07-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं, उपखण्ड अधिकारी,

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बइजलास – रमेश देव (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

---

1. सत्यप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया हाल साकिन गांव रोहीड़ावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. कैलाश पत्नी स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामप्रताप जाति जाट साकिन वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादीगण

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सुमीत
3. पुनीत

पुत्रगण जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत खाता घोषणा व खाता तकसीम मुकदमा संख्या 74/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी एड. मिन जामिन मुदई श्री भीमसिंह छिंपा एड़ मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि :– अतः वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी सं. 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाता है कि घरू बंटवारा अनुसार चक 4 डी.एन.जी. के खाता सं. 7/7 में स्व.पति ओमप्रकाश के नाम दर्ज भूमि की वादीया सं. 2 कैलाश खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता से स्व. ओमप्रकाश का नाम कलमजन कर हिस्सा वादीया सं. 2 के नाम दर्ज किया जावे। तथा वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णिता अनुसार व प्रतिवादी सं. 1 का खाता काउन्टर क्लेमकी चरण सं. 3 में वर्णितानुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज आबियाना अलग कायम किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का खाता राजस्व अभिलेख निचे वर्णितानुसार अलग कायम किया जावे।

वादी सं. 1 सत्यप्रकाश के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि :– चक 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 7/7 पत्थर नं. 183/132 मु.नं. 19 किला नं. 9/0.253, 11,12,13/0.759, 17,18,19,20/1.012 कुल योग 2.024है0

वादी संख्या 2 कैलाश पत्नी स्व. ओमप्रकाश के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि :– चक 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 7/7 पत्थर नं. 182/133 मु.नं. 28 किला नं. 7,14,15,16,17 व 13,24,25/2.024 कुल योग 2.024है0

प्रतिवादी सं. 1 जयप्रकाश के हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की भूमि:– चक 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 7/7 पं. नं. 182/132 मु. नं. 18 किला नं. 25/1/.228, 25/2/.025गै.मु.खाला, पं. नं. 183/132 मु. नं. 19 किला 21,22,23,24/1.012, 183/133 मु. नं. 27 किला नं. 1/.253, पं. नं. 182/133 मु. नं. 28 किला नं. 5/1/.228, 5/2/.025गै.मु. खाला, 6/.253 कुल 2.024 है. नहरी मय गैर मु.

नोटः– संबधित बैंक का ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार रकम राज कायम कर अमल दरामद किया जावें।

निज X मुब्लिक X बाबत X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक X को अदा करे।

बसब्त मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7/3/2013 को जारी किया गया।

7/3/13

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official